

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3482 खनिज/व.अ.मा.प्र.प./2016

नारायणपुर, दिनांक 22/10/2016

प्रति,

श्री बजरंग पॉवर  
एण्ड इस्पात लिमिटेड  
रायपुर


विषय :- मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क खनिपट्टा में लिए वन कक्ष क्रमांक 2179, 2180, 2184 एवं 2185 में स्वीकृत वन भूमि 57.00 हे० एवं पहुँच मार्ग 9.02 हे० कुल 66.02 हे० के डावर्सन हेतु।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/SBPIL/MINES/2016-17/M-32 Date 12-08-2016

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है आपके पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी ग्राम पंचायत धनोरा एवं कोडोली से सरपंच के माध्यम से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
कलेक्टर

जिला - नारायणपुर

प्रदर्श - ब

ग्राम सभा कोडोली की बैठक दिनांक 23.09.2016 का कार्यवाही विवरण  
 ग्राम कोडोली  
 स्थान कोडोली

आज दिनांक 23.09.2016 को ग्राम कोडोली के सरपंच श्री/श्रीमती विमला की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति कोडोली के सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम कोडोली में आवेदक/एजेंसी श्री लजरांग पावर एंड स्थापना लिमिटेड (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 14.00 वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि, कुल 14.00 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लोड अयस्क खनन कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकबा (हे.में)
-	कोडोली	गिरक	गिरक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 14.00 हे. वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि कुल योग 14.00 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी) श्री लजरांग पावर एंड स्थापना लिमिटेड को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न :- ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सूची।

मुराराम  
 अध्यक्ष  
 वन अधिकार समिति  
 कोडोली

हस्ताक्षर विमला  
 नाम विमला  
 सरपंच सरपंच  
 सील ग्राम पंचायत-कोडोली  
जनपद-पंचायत-ओरछा  
जिला-बस्तर  
 हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

प्रदर्श - ब

ग्राम सभा - धनोरा की बैठक दिनांक 21/09/2016 का कार्यवाही विवरण  
 ग्राम धनोरा  
 स्थान धनोरा

आज दिनांक 21/09/2016 को ग्राम धनोरा के सरपंच श्री/श्रीमती सरिता की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति धनोरा के सदस्य 801 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम धनोरा में आवेदक/एजेंसी श्री वज्रंग पत्तार एण्ड इत्यात लिमिटेड (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 52.020 वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि, कुल 52.020 है। वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लोह अमरु खनन रक्ष पहुंचा कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकबा (हे.में)
+	<u>धनोरा</u>	<u>विरंक</u>	<u>विरंक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 52.020 हे. वनभूमि तथा 0 हे. राजस्व वनभूमि कुल योग 52.020 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी) श्री वज्रंग पत्तार एण्ड इत्यात लिमिटेड को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न :- ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सूची।

① म.ए.०.३

② सन्व

③

④

⑤

पुष्कराम

अनन्द  
**अध्यक्ष**  
 वन अधिकार समिति  
 - धनोरा

सरिता  
 सरपंच  
 हस्ताक्षर ग्राम पंचायत धनोरा  
 नाम जनपद पंचायत नारायणपुर  
 सरपंच सरिता मरनी  
 सील.....

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

मसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड स्पॉट लिमिटेड का लौह अयस्क का खनन कार्य हेतु नारायणपुर जिला में नारायणपुर वनमण्डल के कोडोली गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 14.00 हे० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित 16. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन। मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 14.00 हे० एवं/राजस्व वन भूमि 0.00 हे० जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कोडोली तहसील नारायणपुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.09.2016 (प्रदर्श "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

17. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 23.09.2016 ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बिमला की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.09.2016 रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 70 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर विस्तार के समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पदपत्र वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	कोडोली	निरंक	निरंक


18. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी र्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

19. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23.09.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

20. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 23.9.2016 / दिनांक 23.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जा जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

दिनांक 14.9.2016

  
(टामनसिंह साँवानी)  
कलेक्टर

एवं  
अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति  
जिला - नारायणपुर  
(सील)

## प्रमाण पत्र

मसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड स्पॉट लिमिटेड का लौह अयस्क का खनन कार्य हेतु नारायणपुर जिला में नारायणपुर वनमण्डल के धनोरा गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 52.020 हे० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

11. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 52.020 हे० एवं/राजस्व वन भूमि 0.00 हे० जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम धनोरा तहसील नारायणपुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 (प्रदर्श "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

12. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 21.09.2016 ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति सरिता मरकाम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.09.2016 रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 80 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर विस्तार के समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

## अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पदपत वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-


क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	धनोरा	निरंक	निरंक

13. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी रॉ एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

14. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

15. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 21.9.2016 / दिनांक 21.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(टामनसिंह सोनवादी)  
कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति  
जिला - नारायणपुर  
(सील)

दिनांक 14.10.2016

(पृष्ठ-3)

ग्राम पंचायत धनोरा

उपस्थित ग्रामसभा सदस्यों के नाम	घंटा के विषय	बैठक की संश्लिष्ट कार्यवाही विवरण	प्रस्ताव जो प्राप्त हुआ	हस्ताक्षर
मन्दीनाथ		आज दिनांक 21/9/2016 को सरपंच सुश्री सरिता		
अमनी (पंच)		मरकाम की अध्यक्षता में ग्रामसभा का आयोजन किया		जमनी
शोनाथ		ग्राम पंचायत भवन धनोरा में समय 11 बजे		
समहरी		किया गया जिसमें उपसरपंच वार्ड पंच एवं ग्रामिण		
समिता		उपस्थित थे। जिसमें निम्न लिखित विषय पर		
अनाशम		चर्चा हुई		
रंजन (पंच)		ग्रामसभा की बैठक में श्री अजरंग पावर	यह प्रस्ताव	
राना		एड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में ग्राम कोर्टोरी	सर्व समिति के	
शुद्ध		में स्वीकृत वन भूमि 57.00 हेक्टेयर के डायवर्सन	पात किया गया	
चतुराम (पंच)		हेक्टेयर प्राप्त आवेदन की चर्चा एवं अनुमोदन		
सम		के लिए समझ में रखा गया। उपर्युक्त क्षेत्र में से		
काशी (पंच)		वन कक्षा क्रमांक 2180 व 2184 में रकबा 43.00		
अंदराम		हेक्टेयर व पंच मार्ग 9.02 हेक्टेयर ग्रामपंचायत		
कानू		धनोरा के अंतर्गत आना पाया गया। सभी सदस्यों		
विश्वास		से विचार विमर्श के उपरान्त पाया गया कि		
मंगल		उक्त क्षेत्र में किसी को वन अधिकार माल्यता		
सिमरू		पर प्रदान नहीं किया गया है। केवल मैदानी क्षेत्र		
सुरेश		में ही वन भूमि प्रदान किया गया है। इस लिए उक्त		
राजू		क्षेत्र को डायवर्सन के कार्य के लिए देने पर कोई		
बुधराम		आपत्ति नहीं है।		
अध्याती				
श्रीतसम				
सुर				

सचिव  
ग्राम पंचायत धनोरा

सचिव  
ग्राम पंचायत धनोरा  
विकास खण्ड-नारायणपुर

सरपंच  
ग्राम पंचायत धनोरा  
जनपद पंचायत नारायणपुर



अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति जिला नारायणपुर

// बैठक की कार्यवाही विवरण //

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम पंचायत धनोरा में श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम - बोरझरा उरला इण्डस्ट्रीज एरिया रायपुर (छ0ग0) को नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत छोटेडोंगर वन परिक्षेत्र वन कक्ष क्रमांक RF/ 2185, 2184, 2180, 2179 में से 57.00 हे0 क्षेत्रफल में भारत सरकार खनन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/5/96/2010/मा0न0 नई दिल्ली 13/04/2011 द्वारा लौह अयस्क खनिज पट्टा स्वीकृति हेतु पूर्वानुमोदित किया गया है। जिसके तहत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव वन विभाग वनमण्डल नारायणपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा	मद	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धनोरा	धनोरा	छोटेडोंगर	RF/2180,	20.00 हे0	आरक्षित वन भूमि	प्रस्तावित खनि पट्टा
				RF/2184	20.00 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				RF/2185	3.00 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				P/2217 A	1.79 हे0	OA	
				RF 2182	1.18 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				RF 2181	0.64 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				P 2226	1.06 हे0	OA	
				P 2226 A	1.30 हे0	OA	
				RF 2180	0.42 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				RF 2184	1.20 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				RF 2188	1.29 हे0	आरक्षित वन भूमि	
RF 2183	0.14 हे0	आरक्षित वन भूमि	पहुंच मार्ग (पूर्व से कूप पहुंच मार्ग है)				
				योग :-	52.020 हे0		
2	कोडोली	कोडोली	छोटेडोंगर	RF/2179	14.00 हे0	आरक्षित वन भूमि	
				योग :-	14.00 हे0		
				महायोग :-	66.020 हे0		

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 29.09.2016 को अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अत उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर में0 श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम - बोरझरा उरला इण्डस्ट्रीज एरिया रायपुर (छ0ग0) को प्रस्तावित खनिज पट्टा हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा ग्राम सभा की वन समिति धनोरा एवं ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- |     |   |   |         |                          |
|-----|---|---|---------|--------------------------|
| (1) | श्री मुकेश रावटे अ0वि0अ0 (रा0) नारायणपुर                  | - | अध्यक्ष | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) |
| (2) | श्री आर.के.तिवारी उप वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर            | - | सदस्य   | नारायणपुर                |
| (3) | श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी, मु.का.पा.अधि.ज.पं. नारायणपुर | - | सदस्य   |                          |
| (4) | श्री रजमन कोराम अध्यक्ष ज.पं. नारायणपुर                   | - | सदस्य   |                          |
| (5) | श्री जागेश्वर उसेण्डी उपाध्यक्ष ज.पं. नारायणपुर           | - | सदस्य   |                          |
| (6) | श्रीमती सामन्तरीन कुंजाम जनपद पंचायत सदस्य नारायणपुर      | - | सदस्य   |                          |

सामन्तरीन